

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 686 / 2024 दिनांक 23.02.2024

श्री राकेश कटारा (RJ00282), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को दिनांक 30.01.2024 से 03.02.2024 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 04.02.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री कटारा की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 23.02.2024

कमांक:-स्था.बी.2(4)/43/1996/1612

दिनांक 23.02.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 49 दिनांक 05.02.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री राकेश कटारा (RJ00282), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा।

सहायक रजिस्ट्रार 23/2/24